न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 233/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/482 निर्णय दिनांक 30.12.2025

भगवानसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपुत निवारी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ बीकोनर

–प्रार्थी–

बनाम

1. गुलाब सिंह 2. महावीर सिंह पुत्रगण कल्याणसिंह राजपुत निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री जितेन्द्र स्वामी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्न से सादर प्रस्तुत है। कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्व. कल्याण सिंह के वारिसान है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि पुराने खसरा नम्बर 31 तादादी 9.03 हैक्टेयर वाके रोही बरजांगसर में स्थित थी। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन राजस्व अभियान केम्प में ईन्तकाल संख्या 220 दिनांक 24.12.2010 को किया गया। उक्त खसरा–31 के खाता विभाजन खातेदारो की कब्जा काश्त अनुसार किया जाकर राजस्व एक्स में तरमीम की कार्यवाही की गई। खाता विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 647/31 तादादी 1.0100 हैक्टयर की भूमि प्रार्थी के नाम व खसरा नम्बर 646/31 तादादी 5.7400 हैक्टयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम व खसरा नम्बर 648/31 तादादी 2.2800 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। प्रार्थी अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। मुल खसरा नम्बर 31 के खाता–विभाजन के वक्त तैयार नक्शा पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं करवाये तथा राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के कब्जे हिस्से की भूमि का राजस्व एक्स में गलत तरमीम कर रिकॉर्ड संधारित किया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को के.सी.सी ऋण हेतु प्रमाणित नकल दिनांक 03.12.2024 को प्राप्त की तब हुई है। प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि का कब्जा पुराने खसरा नम्बर 31 में निम्न आसे पासे का रहा है।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
वर्तमान ख.न. 32	ख.न. 648/31 अप्रार्थी संख्या 1	वर्तमान ख. न. 29	ख.न. 646/31 अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थी ने दिनांक 03.12.2024 को ही अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि खाता विभाजन के वक्त गलत तरमीम की शुद्धि सहमति से करवा दे, के अप्रार्थीगण ने कहा कि आप न्यायालय में कार्यवाही करो। राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 31 पुराना के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विभाजन के वक्त मौका कब्जा अनुसार तरमीम कार्यवाही न कर गलत राजस्व नक्शा तैयार किया जिस पर किसी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी खाता विभाजन के पश्चात अपने वर्तमान खातेदारी खसरा नम्बर 647/31 तादादी 1.0100 हैक्टयर की तरमीम राजस्व एक्स में शुद्धि करवाने का अधिकार रखता है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है तथा प्रार्थन पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया गया है कि प्रार्थना–पत्र की मद सं 3 में वर्णित आसा–पासा अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 647/31 तादादी 1.0100 हैक्टेयर रोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व एक्स कर शुद्धि करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को जारी कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को जरिये राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 647/31 तादादी 1.0100 हैक्टेयर वाके रोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:54 IST
Reason: SelfAttested